



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 198-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2017 (KARTIKA 22, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 नवम्बर, 2017

संख्या 120/एसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017, में,-

(1) अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्या 8 और 9 तथा उनके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उनके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“8	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	सभी सामान, ताजा या द्रुतशित्त
----	--	-------------------------------

9	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	सभी सामान, (ताजा या द्रुतशितित से भिन्न) उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,— (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम पर किसी अनुयोज्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]”;
---	--	---

- (ii) क्रम संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और उनके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 21 और 22 और उनके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उनके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्;—

“21	0304, 0306, 0307, 0308	सभी सामान, ताजा या द्रुतशितित
22	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308	सभी सामान, (ताजा या द्रुतशितित से भिन्न) उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,— (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम पर किसी अनुयोज्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]”;

- (iv) क्रम संख्या 23 और 24 और उनके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;”
- (v) क्रम संख्या 30 और उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्;—

“30क	0504	सभी सामान, ताजा या द्रुतशितित
30ख	0504	सभी सामान, (ताजा या द्रुतशितित से भिन्न) उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,— (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम पर किसी अनुयोज्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]”;

- (vi) क्रम संख्या 43 और उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्;—

“43क	0710	वनस्पतियां (बिना पकाई गई या भापन या पानी में उबाल कर पकाई गई), हिमशीतित उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,— (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम पर किसी अनुयोज्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]”;
------	------	--

- (vii) क्रम संख्या 46 के खाना (3) में, “ताजा, द्रुतशितित” शब्दों के स्थान पर, “ताजा, या द्रुतशितित, शुष्क” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (viii) क्रम संख्या 46 और उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"46क	0714	मेनियोक, आरारोड, स्लेप, जेरुसलम आरटी चोक्स, शकरकंद और इसी प्रकार के मूल और कंद, जिनमें स्टार्च और इनूलिन की मात्रा अधिक हैं, हिमशितित, चाहे स्लाइस किए गए हैं या नहीं या गुटिका रूप में हैं उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम पर किसी अनुयोज्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";
46ख	08	शुष्कित मखाना, चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीं उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम पर किसी अनुयोज्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";

- (ix) क्रम संख्या 77 में, खाना (3) में, "आलू का आटा" शब्दों के स्थान पर, "आलू का आटा, अवचूर्ण, चूर्ण पत्र या दलित" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

- (x) क्रम संख्या 78 और उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"78क	1106 10 10	ग्वार अवचूर्ण";
------	------------	-----------------

- (xi) क्रम संख्या 87 और उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"87क	1210 10 00	हाप कोन, जो दलित, चूर्णित या गुटिका के रूप में नहीं है";
------	------------	--

- (xii) क्रम संख्या 93 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"93क	1404 90 60	नारियल कवच, अकर्मित";
------	------------	-----------------------

- (xiii) क्रम संख्या 94 में, खाना (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "सभी प्रकार के गुड़, जिसके अंतर्गत गन्ना गुड़ (गुड़), पालमिरा गुड़ सम्मिलित है; खांडसारी चीनी" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी;

- (xiv) क्रम संख्या 103 में, खाना (3) में विद्यमान प्रविष्टि, के स्थान पर, "नमक (टेबल नमक और विकृतनमक) और शुद्ध सोडियम क्लोराईड, चाहे जलीय घोल या नहीं, या एंटी-केक या मुफ्त फ्लोइंग एजेंटयुक्त;समुद्र जल" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी;

- (xv) क्रम संख्या 103 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"103क	26	यूरेनियम ओर कॉन्स्ट्रेट";
-------	----	---------------------------

- (xvi) क्रम संख्या 136 और उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"136क	7113	लाख/शलक लाख की चूड़ियाँ";
-------	------	---------------------------

(2) व्याख्या में, खंड (ii) में, विद्यमान मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(ख) “पंजीकृत ब्रांड नाम” वाक्यांश का अर्थ है,—

- (क) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का केन्द्रीय अधिनियम 47) के अधीन 15 मई, 2017 को या उसके बाद पंजीकृत कोई ब्रांड, चाहे ब्रांड का बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नहीं;
- (ख) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 14) के अधीन 15 मई, 2017 को या उसके बाद पंजीकृत कोई ब्रांड;
- (ग) किसी भी अन्य देश में किसी विधि के अधीन 15 मई, 2017 को या उसके बाद पंजीकृत कोई ब्रांड; यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से लागू होगी।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 14th November, 2017

No. 120/ST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017,-

(1) in the Schedule,

- (i) for serial number 8 and 9 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted, namely: -

“8	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	All goods, fresh or chilled
9	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	All goods [other than fresh or chilled] other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I”;

(ii) serial numbers 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and entries thereagainst shall be omitted;

(iii) for serial numbers 21 and 22 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted, namely: -

“21	0304, 0306, 0307, 0308	All goods, fresh or chilled
22	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308	All goods [other than fresh or chilled] and other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I ” ;

- (iv) serial numbers 23,24 and entries thereagainst shall be omitted;
- (v) after serial number 30 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“30A	0504	All goods, fresh or chilled
30B	0504	All goods [other than fresh or chilled] other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I ” ;

- (vi) after serial number 43 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“43A	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen, other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I ” ;
------	------	--

- (vii) in serial number 46, under column (3), for the words “fresh or chilled” the words “fresh or chilled, dried” shall be substituted;

- (viii) after serial number 46 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“46A	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, frozen, whether or not sliced or in the form of pellets other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I
46B	08	Dried makhana, whether or not shelled or peeled [other than those put up in unit container and,- (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I”;

- (ix) in serial number 77, under column (3), for the words “Flour, of potatoes” the words “Flour, powder, flakes, granules or pellets of potatoes”, shall be substituted;
- (x) after serial number 78 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -
- | | | |
|------|------------|-------------|
| “78A | 1106 10 10 | Guar meal”; |
|------|------------|-------------|
- (xi) after serial number 87 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -
- | | | |
|------|------------|---|
| “87A | 1210 10 00 | Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets”; |
|------|------------|---|
- (xii) after serial number 93 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -
- | | | |
|------|------------|---------------------------|
| “93A | 1404 90 60 | coconut shell, unworked”; |
|------|------------|---------------------------|
- (xiii) in serial number 94, under column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-
- “Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery;Khandsari Sugar”;
- (xiv) in serial number 103, under column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-
- “Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solutions or containing added anti-caking or free flowing agents; sea water”;
- (xv) after serial number 103 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -
- | | | |
|-------|----|---------------------------|
| “103A | 26 | Uranium Ore Concentrate”; |
|-------|----|---------------------------|
- (xvi) after serial number 136 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -
- | | | |
|-------|------|---------------------------|
| “136A | 7113 | Bangles of lac/ shellac”; |
|-------|------|---------------------------|
- (2) In the Explanation, in clause (ii), for existing item (b), the following item shall be substituted, namely: -
- “(b) The phrase “registered brand name” means, -
- (A) a brand registered as on or after the 15th May, 2017 under the Trade Marks Act, 1999 (Central Act 47 of 1999) irrespective of whether or not the brand is subsequently deregistered;
- (B) a brand registered as on or after the 15th May, 2017 under the Copyright Act, 1957 (Central Act 14 of 1957);
- (C) a brand registered as on or after the 15th May, 2017 under any law for the time being in force in any other country.”.

This notification shall come into force with effect from the 15th November, 2017.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.